अध्याय 16
कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

धारा 85 : कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व

(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः, विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति में चाहे जो भी हो, अंतरण करता है वहां कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथकतः, पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक, कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण के समय तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया है, किन्तु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के संदाय के लिए दायी होगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है, वहां वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो वह विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करेगा।